फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर ग्रामीण)

उतमसिंह पुत्र कल्याणसिंह बनाम दुर्गसिंह पुत्र रेंवतसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा – 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर 17/2024) (सन् 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
10.07.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनराम पुनिया द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवंक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि पर जबरदस्ती कब्जा एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 05.08.2024 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा बालेसर सत्ता, पटवार हल्का बालेसर सत्ता तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1619 एवं मौजा पेहपनगर पटवार हल्का खारीबेरी का खसरा नम्बर 2106, 2175 की भूमि पर उभयपक्ष कब्जा एवं निर्माण कार्य नही करें। उक्त खसरे में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरूद्व नही करें। आगामी पेशी तक उभयपक्ष मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश सरकारी योजनाओं एवं राजकीय विभागो पर लागू नही होगा एवं उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 05.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बालेसर Signature Not Verified Digitally signed by Bhawani Singh Date: 2025.08.27 15:48:39 IST Reason: SelfAttested	
5/8/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/चुनाव कार्य/राजकीय दौरे पर है। पत्रावली इलत्वा लेकर दिनांक 17/9/24 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
17/9/24	पत्रावली पेश हुई। तामीलशुदा उप० रिपो. A.D. की रसीद पेश, शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगणों के इन्तजार हेतु दिनांक 29/10/24 को पेश हो।	
29/10/24	पत्रावली [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य [illegible] ीय दौरे पर है। पत्रावली इलत्वा [illegible] 10/12/24 को पेश हो।	
10/12/24	पत्राव [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य [illegible] दौरे पर है। पत्रावली इलत्वा [illegible] 22/1/25 को पेश हो।	
7/1/25	मूल वाद में प्रा.प. डिक्री का पेश होने एवं मूल वाद में जारी डिक्री निरस्तीकरण होने के कारण पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई। मूल वाद में जारी डिक्री निरस्तीकरण होने के कारण पत्रावली सारहीन होने के कारण निरस्तीकरण की जाती है। न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 10/7/24 को ग्राम बीलसरसाता के खसरा 1619 एवं ग्राम पदमनगर के खसरा नम्बर 2106, 2175 पर जारी स्थगन आदेश को अपास्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.08.27 15:48:39 IST
Reason: SelfAttested